प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 833/2012

1. मेसर्स पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ लेवल क्रॉसिंग विले–पार्ले (पूर्व), पुलिस थाना विले–पार्ले, मुंबई (महाराष्ट्र), द्वारा संदीप पारिख, नामनिर्देशिती, मेसर्स पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, निवासी रिंग रोड नंबर 1, पुलिस थाना टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

2. संदीप पारिख, नामनिर्देशिती, मेसर्स पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, नॉर्थ लेवल क्रॉसिंग, विले–पार्ले (पूर्व), पुलिस थाना विले–पार्ले, मुंबई (महाराष्ट्र) द्वारा श्री लॉजिस्टिक्स, रिंग रोड नंबर 1, पुलिस थाना टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

3.मेसर्स पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरगढ़, झज्जैर (हरियाणा), द्वारा महेंद्र सहारन, नामनिर्देशिती और शिफ्ट प्रभारी, मेसर्स पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरगढ़, पुलिस थाना बहादुरगढ़, झज्जैर (हरियाणा)

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. महेंद्र सहारन, नामनिर्देशिती और शिफ्ट प्रभारी, मेसर्स पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरगढ़, पुलिस थाना बहादुरगढ़, झज्जर (हरियाणा)

5. नवीन अग्रवाल, पिता श्री बी. एम. अग्रवाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, प्रोपराइटर, अग्रवाल स्वीट्स एंड डेली नीड्स, विमल टॉकीज के सामने, पुलिस थाना धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

6. जैन एजेंसी, एम. बी. हाउस, बस्तर रोड, पुलिस थाना धमतरी, धमतरी (छ.ग.)

7. सुनील कुमार जैन, पार्टनर, जैन एजेंसी, एम. बी. हाउस, बस्तर रोड, पुलिस थाना धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

8. मनीष कुमार जैन, पार्टनर, जैन एजेंसी, एम. बी. हाउस, बस्तर रोड, पुलिस थाना धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)

2. अखिलेश श्रीवास्तव, खाद्य निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)

----उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण हेतु : रवींद्र अग्रवाल, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 हेतु : चंद्रेश श्रीवास्तव, उप-महाधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

01/04/2019

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. याचिकाकर्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (जिसे आगे "1954 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 7 (i) सहपठित धारा 16(1) (ए) (i) के अधीन खाद्य निरीक्षक के अनुरोध पर शुरू किए गए अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहे हैं। वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी के न्यायालय में लंबित दांडिक प्रकरण क्रमांक 228/2011 की शुरूआत और जारी रहने तथा उक्त अपराध का संज्ञान लेते हुए उस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.4.2010 के परिणामी आदेश पर प्रश्न उठा रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि उक्त कार्यवाही का आरंभ और जारी रहना अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

2. याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 3 कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनियाँ हैं। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 एक ऐसी कंपनी है जो अन्य खाद्य वस्तुओं के अलावा "मोनेको" ब्रांड नाम के अधीन बिक्री के लिए बिस्किट बनाती है। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 भी एक ऐसी कंपनी है जो याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के लिए "मोनेको" ब्रांड नाम के अधीन बिस्किट बनाती है, इस प्रकार, याचिकाकर्ता क्रमांक 3 विनिर्माण इकाई है। चूंकि याचिकाकर्ता क्रमांक 3 द्वारा निर्मित "मोनेको" बिस्किट अधिनियम 1954 की धारा 2(v) के अर्थ में "खाद्य" के विवरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 3 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे आगे "नियम 1955" कहा जाएगा) के नियम 32 के अधीन वैधानिक रूप से बाध्य हैं कि वे 1955 के नियम 32 के अधीन निर्धारित एक या कई तरीकों से अपने द्वारा निर्मित बिस्किट के प्रत्येक पैकेज पर उपभोग हेतु उपयुक्त (शेल्फ लाइफ) निर्दिष्ट और प्रकट करें।

3. याचिकाकर्ताओं का प्रकरण यह है कि दिनांक 29.7.2008 को उत्तरवादी क्रमांक 2 अर्थात खाद्य निरीक्षक ने 1955 के नियमानुसार 1954 के अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता क्रमांक 5–अग्रवाल स्वीट्स एंड डेली नीड्स, धमतरी, जो खाद्य वस्तुओं का फुटकर विक्रेता है, की दुकान से याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 3 द्वारा कथित रूप से निर्मित 240 ग्राम प्रत्येक पारले मोनेको क्रिस्प लाइट साल्टेड स्नैक्स बिस्किट के तीन पैकेट का नमूना खरीदा। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, नमूना दिनांक 30.7.2008 को विश्लेषण के लिए लोक विश्लेषक, रायपुर को भेजा गया और नियम 1955 के नियम 17 और 18 के अनुसार लोक विश्लेषक को प्रपत्र क्रमांक VII में एक ज्ञापन और पैकेट को सील करने में उपयोग की गई सील की छाप अलग से भेजी गई। उचित विश्लेषण के बाद, लोक विश्लेषक ने दिनांक 4.9.2008 को अपनी विश्लेषण रिपोर्ट राज्य खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण और नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि को प्रस्तुत की है। प्रशासन, रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें बिस्किट के नमूने मिलावटी पाए गए। इसके बाद दिनांक 27.4.2010 को, 1954 के अधिनियम की धारा 7 (i), 7 (v) के साथ धारा 16 (1) (ए) (i) और (ii) के अधीन क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 27.4.2010 के आदेश द्वारा संज्ञान लिया गया और उसके बाद दिनांक 11.5.2010 को (अनुलग्नक पी/3), विश्लेषण रिपोर्ट की एक प्रति नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर द्वारा याचिकाकर्ताओं को अधिनियम 1954 की धारा 13 (2) के अधीन आवश्यक रूप से भेजी गई ताकि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूने का पुनः विश्लेषण कराने का अधिकार प्राप्त हो सके। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि नियम 1955 के नियम 32 के अनुसार, बिस्किट की उपभोग हेतु उपयुक्त (शेल्फ लाइफ) जुलाई, 2008 से छह महीने थी, इसे पैकेजिंग से छह महीने पहले उपयोग करना सबसे अच्छा था, लेकिन शिकायत 1 वर्ष 9 महीने बाद दर्ज की गई और अधिनियम 1954 की धारा 13(2) के अधीन सूचना दिनांक 11.5.2010 को अर्थात नमूने की उपभोग हेतु उपयुक्त (शेल्फ लाइफ) अवधि समाप्त होने के काफी विलंब के बाद दी गई,। उत्तरवादियों के कृत्य से याचिकाकर्ताओं के वैधानिक अधिकार का हनन हुआ है, ऐसे में दांडिक कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य है।

4. उत्तरवादी क्रमांक 1/राज्य की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही शुरू करना और जारी रखना विधि के अनुसार है, इसलिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र अग्रवाल ने तर्क दिया कि केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से उत्पाद का दूसरा नमूना पुनः विश्लेषण करवाने का याचिकाकर्ताओं का अधिकार, 1954 के अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस दिनांक 11.5.2010 को जारी किए जाने के कारण समाप्त/नष्ट हो

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गया है, जबकि उत्पाद का निर्माण जुलाई, 2008 में किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह पूरी तरह से अभियोजन पक्ष/द्वितीय उत्तरवादी द्वारा उत्पाद पर अंकित तिथि से पहले याचिकाकर्ता कंपनी या किसी अन्य अभियुक्त को अधिनियम 1954 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस न भेजने के कारण हुआ है, जिससे याचिकाकर्ता कंपनी को गंभीर हानि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत समय सीमा से परे भी दायर की गई है और उस समय तक, वर्तमान प्रकरण में धारा 13 (2) के अधीन नोटिस दिया गया था, प्रश्नगत उत्पाद पहले से ही 1 वर्ष और 9 महीने से अधिक पुराना था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता कंपनी का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से उत्पाद का दूसरा नमूना पुनः विश्लेषण करवाने का अधिकार समाप्त/विकृत हो गया है और उन्हें केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला से दूसरे नमूने का पुनः विश्लेषण करवाने के उनके वैधानिक अधिकार से वंचित किया गया है और अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी के कारण नमूना उत्पाद की 'उपयोग से पहले' तिथि याचिकाकर्ता कंपनी के विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने से बहुत पहले ही बीत गई, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध पूरा अभियोजन रद्द किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सही ढंग से संज्ञान लिया गया है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा ऊपर दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

8. बार में उठाये गये अभिवाक पर निर्णय लेने के लिए, अधिनियम की धारा 13 (1), 13 (2) और 13 (3) में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:–

> "13. 3. लोक विश्लेषक की रिपोर्ट – (1) लोक विश्लेषक विश्लेषण के लिए उसे भेजे गए किसी खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी को देगा।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के परिणाम की इस आशय की रिपोर्ट मिलने पर कि खाद्य पदार्थ अपमिश्रित है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी उस व्यक्ति के जिससे खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए थे तथा उस व्यक्ति के, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 4क के अधीन प्रकट की गई हों, विरुद्ध अभियोजन चलाने के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को या व्यक्तियों को विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी रीति से, जो विष्ठित की जाए, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को यह सूचित करते हुए भेजेगा कि वे दोनों या उनमें से कोई यदि चाहे तो रिपोर्ट की प्रति मिलने की तारीख से दस दिन की अवधि

के अन्दर न्यायालय को यह आवेदन कर सकते हैं कि स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थ के नमूने का केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से विश्लेषण कराया जाए।

(2क) जब न्यायालय को उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाता है तब न्यायालय स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह नमूने के उस भाग या उन भागों को जो उक्त प्राधिकारी द्वारा रखे गए हों, भेज दे तथा ऐसी अध्यपेक्षा की जाने पर उक्त प्राधिकारी उस अध्यपेक्षा के मिलने की तारीख से पांच दिन की अवधि के अन्दर न्यायालय को नमूने के भाग भेजा देगा।

(3) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा ([उपधारा (2ख) के अधीन] दिया गया प्रमाणपत्र लोक विशेषक द्वारा उपधारा (1) के अधीन दी गई रिपोर्ट को अतिष्ठित कर देगा। "

9. 1954 के अधिनियम की धारा 13(2) के सावधानीपूर्वक अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के कहने पर नमूनों के पुनः विश्लेषण का अधिकार, जैसा कि प्रावधान किया गया है, खाद्य अपमिश्रण से संबंधित प्रकरणों में अभियुक्त का एक अप्रतिबन्धित अधिकार है। 1954 के अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उपधारा (2 ख) के अधीन केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उपधारा (1) के अधीन लोक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट का स्थान लेगा। 1954 के अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2क) न्यायालय को दूसरा नमूना केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला को संदर्भित करने के लिए बाध्य करती है और रिपोर्ट 1954 के अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2ख) के अधीन प्रस्तुत की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस विषय पर विधि बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। बहुत पहले, **दिल्ली नगर निगम बनाम घीसा राम**[1] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त का अधिकार मूल्यवान है, क्योंकि निदेशक का प्रमाण पत्र लोक विश्लेषक की रिपोर्ट से अधिक महत्वपूर्ण है और इसे इसकी सामग्री के निर्णायक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। यह निम्नानुसार देखा गया था: –

"7. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन विक्रेता को यह अधिकार दिया जाता है कि उसे दिए गए नमूने का विश्लेषण केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा कराया जाए, तो यह अपेक्षा की जाती है कि अभियोजन पक्ष इस तरह से कार्यवाही करेगा कि उसे यह अधिकार नकारा न जाए। यह अधिकार मूल्यवान है, क्योंकि निदेशक का प्रमाण पत्र लोक विश्लेषक की रिपोर्ट से ऊपर होता है और इसे इसकी विषय–वस्तु का निर्णायक साक्ष्य माना जाता है। स्पष्ट रूप से, विक्रेता को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी संतुष्टि और उचित बचाव के लिए अपने पास रखे नमूने का विश्लेषण किसी

1 AIR 1967 SC 970

बड़े विशेषज्ञ से करवा सके जिसका प्रमाण पत्र न्यायालय द्वारा निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए। ऐसे प्रकरण में जहां अभियोजन पक्ष के जानबूझकर किए गए आचरण के कारण इस अधिकार का खंडन किया जाता है, हमें लगता है कि विक्रेता अपने विचारण में इतना गंभीर रूप से पक्षपाती है कि उसके लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अपने विरुद्ध लगाए गए नमूने का विश्लेषण किसी बड़े विशेषज्ञ से करवा सके। लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर उनकी दोषसिद्धि को यथावत रखा, भले ही वह रिपोर्ट उसमें निहित तथ्यों के प्रकरण में साक्ष्य बनी हुई है।"

11. इसी प्रकार, गिरीशभाई दह्याभाई शाह बनाम सी.सी.जानी और एक अन्य[2] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:–

"8. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उपधारा (1) के अन्तर्गत लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कि खाद्य पदार्थ में मिलावट है, अभियोजन चलाया जा सकता है तथा रिपोर्ट की एक प्रति अभियुक्त को दी जा सकती है। उपधारा (2) यह भी इंगित करती है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्त, यदि चाहे तो, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा रखे गए खाद्य पदार्थ के नमूने का केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण करवाने के लिए रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस दिन की अवधि के अन्दर न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

9. दूसरे शब्दों में, इस प्रकरण में अपीलार्थी को दिनांक 17–7–1989 से पहले दूसरे नमूने के विश्लेषण के लिए आवेदन करने से रोका गया था, जिस समय तक दही का दूसरा नमूना खराब हो चुका था और उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता था, जैसा कि ऊपर उल्लिखित घीसा राम में पाया गया था।"

12. हाल ही में, गिरीशभाई दहियाभाई शाह (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि के सिद्धांत का पालन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य[3] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ किया गया है और इसने निम्नानुसार निर्णय दिया है:–

"7. उपरोक्त दृष्टिकोण इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि वर्तमान स्थिति में तीसरे नमूने को भी सीएफएल द्वारा खराब घोषित करवाना समय की बरबादी और एक खोखली औपचारिकता होगी। वर्तमान प्रकरण जैसे प्रकरण भी हो सकते हैं, जहां अभियुक्तों की क्रमांक तीन से अधिक है। ऐसे प्रकरणों में सभी सह–अभियुक्तों की व्यक्तिगत प्रार्थनाओं का अनुपालन करने की कोई संभावना नहीं है, ताकि सीएफएल द्वारा पुनः विश्लेषण के लिए अलग–अलग नमूने

2 2009) 15 SCC 64

3 (2016) 7 SCC 474

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भेजे जा सकें, क्योंकि विधि के अनुसार केवल तीन नमूने तैयार करने की आवश्यकता होती है।

8. उपर्युक्त कारणों से हमारा यह विचार है कि इस प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण और विधि के विपरीत था। इस प्रकरण में हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा गिरीशभाई दह्याभाई शाह बनाम सी.सी. जैन में दिए गए निर्णय से समर्थित है, हालांकि यह निर्णय भिन्न तथ्यात्मक मैट्रिक्स में दिया गया था। इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, आपराधिक शिकायत को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा किया गया भुगतान स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार, दांडिक अपील भी स्वीकार की जाती है।"

13. महिको वेजिटेबल सीड्स लिमिटेड (जिसे अब महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य[4] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने बीज अधिनियम, 1966 की धारा 16(2) में निहित समसामयिक प्रावधानों पर विचार करते हुए माना है कि नमूने के एक हिस्से को केंद्रीय बीज प्रयोगशाला में भेजने के लिए न्यायालय में आवेदन करने का अभियुक्त/शिकायतकर्ता का निहित अधिकार अनिवार्य है और चूंकि नमूने की शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई है, इसलिए अभियुक्त को पुनः विश्लेषण के अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित किया जाता है और अभियोजन को रद्द कर दिया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. इसी प्रकार, लैबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य[5] के प्रकरण में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(3), 23(4) एवं 18–ए पर विचार करते हुए अभियोजन को निरस्त करते हुए निम्नांकित निर्णय दिया गया:–

"7. वर्तमान प्रकरण में आक्षेपित अपराध का संज्ञान दिनांक 4–3–2015 को लिया गया था, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत 28–11–2012 को दर्ज की गई थी। अपीलार्थी के अनुसार कफ सिरप की उपभोग हेतु उपयुक्त (शेल्फ लाइफ) नवंबर 2012 में ही खत्म हो गई थी। अन्यथा भी, यह उचित रूप से निश्चित है कि जिस तिथि को संज्ञान लिया गया था, उस दिन संबंधित दवा की उपभोग हेतु उपयुक्त शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई थी। इसलिए, मजिस्ट्रेट केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा पुनः विश्लेषण के लिए नमूना नहीं भेज सकते थे।

4 (2017) 13 SCC 367

5 (2018) 15 SCC 93

8. उपरोक्त सभी तथ्य यह दर्शाते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा की गई कई चूकों के कारण अपीलकर्ता के नमूने का केंद्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण करवाने के मूल्यवान अधिकार को नकार दिया गया है; सबसे पहले, अधिनियम की धारा 23(4) (iii) के अधीन अपेक्षित नमूने का हिस्सा अपीलार्थी निर्माता को न भेजना; और दूसरा, न्यायालय द्वारा दिनांक 4–3–2015 को शिकायत का संज्ञान न लेना, जबकि शिकायत 28–11–2012 को दायर की गई थी। दोनों प्रकरणों में देरी अपीलकर्ताओं के कारण नहीं है और इसलिए, इसके परिणाम अपीलकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते। चूंकि अधिनियम के अधीन अभियुक्त को पुनः विश्लेषण के लिए दिए गए बहुमूल्य अधिकार का उल्लंघन किया गया है और दवा के संभावित शेल्फ लाइफ को देखते हुए हमारा विचार है कि अभियोजन की तिथि के अनुसार, यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह एक लचर अभियोजन होगा।

15. उपर्युक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं का केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा विश्लेषण किए गए दूसरे नमूने को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद जुलाई, 2008 में निर्मित किया गया था, नमूना खाद्य निरीक्षक द्वारा जुलाई, 2008 में लिया गया था, लेकिन 1954 के अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस याचिकाकर्ताओं को 11.5.2010 को दिया गया था और दिसंबर 2008 में उत्पाद की शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई थी, क्योंकि नमूने का उपयोग दिसंबर, 2008 से पहले किया जाना था, ऐसे में 1954 के अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस देने में अत्यधिक देरी हुई है, जिससे याचिकाकर्ताओं को दूसरा नमूना प्राप्त करने के उनके मूल्यवान और अपूरणीय अधिकार से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला से उत्पाद के नमूने का पुनः विश्लेषण कराया गया और उन्हें दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने में भारी पक्षपात का सामना करना पड़ा, विशेषकर तब जब केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक की रिपोर्ट लोक विश्लेषक की रिपोर्ट से अधिक महत्वपूर्ण थी, ऐसे में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संपूर्ण अभियोजन केवल इसी आधार पर रद्द किया जाना चाहिए।

16. उपरोक्त कारणों से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी द्वारा दिनांक 27.4.2010 के आदेश द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

17. इस दाण्डिक विविध याचिका को ऊपर बताए गए सीमा तक स्वीकार की जाती है। कोई वाद व्यय नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur